

राज्यपाल सूचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स. 788/जी.एस.
दिनांक 2 जून, २००५

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलासचिव,
डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

महोदय,

आपके पत्रसंख्या-आर/एफिल/जेओसी/५३८/२००४, दिनांक ७.८.२००४ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) के सुसंगत प्रावधानों के अधीन इन्टरनेट इन्स्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन, लखनऊ को बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए. पाठ्यक्रमों में स्वयत्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००५ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

१. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सातर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
२. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
२. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३. सचिव, इन्टरनेट इन्स्टीट्यूट फॉर सोशल, एजुकेशन, लखनऊ।

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

BBA